न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

मुकदमा ... बनाम ...

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	कार्यकारी एजेन्सी के द्वारा करवाया गया है एंव उक्त कार्य क्या खातेदारों के द्वारा गै0 मु0 रास्ते हेतु राजहित में समर्पण करने के पश्चात् किया गया है या पहले ? इस सम्बन्ध में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से स्पष्ट रिपोर्ट ली जाने हेतु तहरीर आदेश जारी होकर पत्रावली आगामी इकजाई पेशी को पेश हो। (दिलीप सिंह) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर) कैम्पः– दिवराला	01 / ... 30-11-21
08.02.2022	दिनांक 30.11.2021 से इकजाई तारीख पेशी देने पर आज पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा चाही गई वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट जरिये पत्रांक 128/मु.का./2021 दिनांक 03.12.2021 के द्वारा प्राप्त हुई। जो शामिल पत्रावली की गई। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से वकील वादीगण ने आज ही बहस सुनी जाकर निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया। वकील वादीगण के निवेदन पर प्रकरण में बहस वकील वादीगण एक पक्षीय सुनी गई। प्रकरण में निर्णय पृथक से मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है। पटवारी हल्का दिवराला से प्राप्त जॉच रिपोर्ट दिनांक 13.09.2021 को व नजरी नक्शा को डिक्री का भाग बनाया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। Signature Not Verified Digitally signed by Dilip Singh Date: 2022.02.23 11:02:37 IST Reason: SelfAttested (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)	

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर जिला सीकर

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
87 / 2021	2021 / 143	05.03.2021	08.02.2022

उनवान

1. सुवालाल पुत्र रामेश्वर उम्र 70 वर्ष
2. मोहनलाल पुत्र रामेश्वर उम्र 58 वर्ष
3. रामस्वरूप पुत्र भैरूराम उम्र 52 वर्ष
   जाति कुमावत निवासीगण दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0।
4. कमली देवी पत्नी रामस्वरूप आयु 50 वर्ष जाति कुमावत निवासी देवथला तहसील चौमूं जिला जयपुर
5. गीता देवी पत्नी सीताराम आयु 60 वर्ष जाति कुमावत निवासी वार्ड नम्बर 1 रींगस तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
6. संजू देवी पत्नि राजेन्द्र कुमार आयु 35 वर्ष जाति कुमावत निवासी विशनगढ़ तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राजस्थान

वादीगण

बनाम

1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 .

प्रतिवादी

उपस्थित–

श्री कमलेश कुमार शर्मा प्रथम, वादीगण अभिभाषक।
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर --प्रतिवादी

वादपत्र बाबत घोषणा, दुरूस्ती रिकार्ड एंव स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.02.23 11:02:37 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) ★ श्रीमाधोपुर (सीकर) ★

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादी के इस आशय से प्रस्तुत किया कि वादी की खातेदारी आराजीयात काश्तकारी भूमि अवस्थित तन् ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 1792 रकबा 1.23 हैक्टर, 1793 रकबा 0.05 हैक्टर, 1794 रकबा 0.03 हैक्टर, 1796 रकबा 0.91 हैक्टर, 2317 रकबा 0.04 हैक्टर, 2318/1 रकबा 0.6474 हैक्टर, 2318/3 रकबा 0.0850 हैक्टर कुल किता 7 कुल रकबा 2.9924 में स्थित है। जिसकी खातेदारी वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकित है। खसरा नम्बर 2318/2 कुल रकबा 0.2376 हैक्टर गैर मुमकीन रास्ता तन् ग्राम दिवराला में स्थित है। उक्त वर्णित रास्ता 2318/2 रकबा 0.2376 हैक्टर पूर्व खसरा नम्बर 2318 का बट्‌टा नम्बर तीन बने है जिनमें खसरा नम्बर 2318/1 व 2318/3 वादीगण के नाम खातेदारी में है जबकि तीसरा बट्‌टा नम्बर 2318/2 रास्ते के रूप में अंकन दर्ज हुआ है लेकिन जो रास्ता मौके पर विद्यमान है । वह खसरा नम्बर 1796 व 1792 की उत्तरी सीमा से निकल रहा है तथा खसरा नम्बर 2318/3 से भी उक्त रास्ता मौके पर विद्यमान होकन निकल रहा है। इस प्रकार रास्ते का रकबा 0.2376 हैक्टर है जो कि वर्तमान में निम्न भूमि खसरा नम्बरान में से जा रहा है:—

खसरा नम्बर	कुल रकबा	रास्ते में गया रकबा	शेष रकबा
1792	1.23 हैक्टर	0.0492	1.1808
1796	0.91 हैक्टर	0.0348	0.8404
2318/3	0.0850 हैक्टर	0.0768	0.0082

कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

उक्त खसरा नम्बर 1792 रकबा 1.23 हैक्टर में से 0.0492 हैक्टर एंव खसरा नम्बर 1796 रकबा 0.91 हैक्टर में से 0.0348 हैक्टर एंव खसरा नम्बर 2318/3 रकबा 0.0850 हैक्टर में से 0.0768 हैक्टर भूमि मौके पर रास्ते के रूप में काम मे आ रही है तथा उक्त रास्ता खसरा नम्बर 2318/2 वादीगण के भूमि के मध्य में होने के कारण वादीगण के कम हुआ रकबा वादीगण की उक्त खसरा नम्बर 2318/1 में बढ़ाया जाना न्यायोचित है तथा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड एंव नक्शें में तरमीम किया जाना न्यायोचित है। उक्त रास्ता वर्तमान परिपेक्ष्य में एंव मौके की वर्तमान स्थिति के अनुसार खसरा नम्बर 1792 एंव खसरा नम्बर 1796 की उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे जाता हुआ खसरा नम्बर 2318/3 में से होता हुआ जाता है जिनकी वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट पटवारी हल्का की स्थिति अनुसार स्पष्ट है

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.02.23 11:02:37 IST
Reason: SelfAttested

08/02/22

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

लेकिन राजस्व रिकार्ड एंव नक्शें में उक्त रास्ते का गलत इन्द्राज होने से एंव वादीगण के भूमि के रकबे का गलत अंकन होने के कारण वादीगण से सख्त हकतल्फी है। वादीगण के विधिक हक अधिकारों पर विपरित असर पड़ रहा है। इस कारण राजस्व रिकार्ड एंव नक्शे में दुरूस्ती किया जाना न्यायोचित होने से वादपत्र पेश किया जाना आवश्यक हुआ है। वादीगण द्वारा उक्त दुरूस्ती हेतु राजस्व कर्मचारियों एंव अधिकारियों से निवेदन करने पर उनके द्वारा अर्सा 7 रोज पूर्व स्पष्ट इन्कार कर देने एंव न्यायालय में चाराजोही करने की हिदायत देने के कारण वादकारण उत्पन्न होने पर दावा पेश करना आवश्यक हुआ है। वकील वादीगण ने ग्राम दिवराला के कृषि भूमि खसरा नम्बर 1792 रकबा 1.23 हैक्टर में से 0.0492, हैक्टर एंव खसरा नम्बर 1796 रकबा 0.91 हैक्टर में से 0.0348 हैक्टर एंव खसरा नम्बर 2318/3 रकबा 0.0850 हैक्टर में से 0.0768 हैक्टर भूमि को कम करके उक्त भूमि के कुल रकबे 0.0492 + 0.0348 + 0.0768 = 0.1608 हैक्टर को वादीगण की भूमि खसरा नम्बर 2318/1 में बढ़ाया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर नक्शा ट्रेस में रास्ते की दुरूस्ती किये जाने एंव इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड यथा जमाबन्दी एंव नक्शा दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया है। वादीगण ने राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर नक्शा ट्रेस में रास्ते की दुरूस्ती किये जाने हेतु उक्त दावा बाबत उद्घोषणा, दुरूस्ती रिकार्ड बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस पर वादीगण के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में तहसीलदार, श्रीमाधोपुर से वादपत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक 3761/भू.अ./21 दिनांक 11.10.2021 से तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जो शामिल पत्रावली की गई। प्रकरण में प्रशासन गांवों के संग अभियान– 2021 के तहत ग्राम पंचायत दिवराला में आयोजित कैम्प में वादपत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने पर वादग्रस्त आराजी पर ग्रामीण गौरव पथ का निर्माण कार्य दिवराला से करीरी रोड़ पर होने की जानकारी प्राप्त होने पर प्रकरण में पुनः तहसीलदार श्रीमाधोपुर से उक्त सड़क का निर्माण कार्य किसके द्वारा, किस स्तर पर व किस कार्यकारी एजेन्सी द्वारा करवाये जाने इत्यादि के सम्बन्ध में रिपोर्ट चाही गई। जिस पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से जरिये पत्रांक 128/भू.अ./2021 दिनांक 3.12.2021 के द्वारा पुनः जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जो शामिल पत्रावली की गई।

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.02.23 11:02:37 IST
Reason: SelfAttested

वकील वादीगण ने तहसीलदार श्रीमाधोपुर से तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट व पुनः वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से प्रकरण में आज ही बहस सुनी जाकर निर्णय पारित किये जाने का निवेदन वादीगण अभिभाषक के द्वारा किया गया।

हमनें वादीगण अभिभाषक की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादीगण अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077, नक्शा ट्रेस नया व पुराना, खसरा नक्शा एंव जमाबन्दी, तहसीलदार श्रीमाधोपुर की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि अन्तिम जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 में वादीगण खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर की रिपोर्ट अनुसार मूल खसरा नम्बर 2318 के खातेदारों के द्वारा पूर्व मे राजहित में गै.मु. रास्ते का समर्पण किया गया था। जिससे खसरा नम्बर 2318/2 रकबा 0.2376 हैक्टर किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज हुआ है। खसरा नम्बर 1792 में 0.0550 हैक्टर तथा 1796 में 0.0406 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 2318/2 में मात्र 0.1420 हैक्टर में रास्ता संचालित है। वर्तमान में संचालित रास्ता जिसका रकबा 0.2376 हैक्टर जो कम होकर खसरा नम्बर 1792 में 0.0550 हैक्टर रास्ते हेतु शेष 1.1750 हैक्टर भूमि खातेदारी में खसरा नम्बर 2318/2 का रकबा 0.1420 हैक्टर किस्म गै0मु0रास्ता खसरा नम्बर 1796 में रास्ते हेतु 0.0406 हैक्टर भूमि तथा शेष 0.8694 हैक्टर भूमि में खातेदारी में दर्ज रहने तथा उक्त प्रकार की खसरा नम्बर 2318/1 का रकबा 0.8043 तथा खसरा नम्बर 2813/3 का रकबा 0.0232 हैक्टर रिकार्ड में दर्ज करने की अभिशंषा तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा की गई है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त दूसरी रिपोर्ट में अवगत कराया है कि ग्राम दिवराला के भूमि खसरा नम्बर 2318/2 रकबा 0.2376 किस्म गै0 मु0 रास्ता के रूप में दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि जरिये समर्पण नामान्तकरण संख्या 1543 दिनांक 17.6.2014 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता सिवायचक दर्ज हुआ है। जिस पर ग्रामीण गौरव पथ योजनान्तर्गत सड़क निर्माण कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 2019 से पूर्व किया जाना अवगत कराया गया है। सड़क का निर्माण प्रचलित रास्ते पर किया गया है। पटवारी हल्का दिवराला व तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त अभिशंषा रिपोर्ट के आधार पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.02.23 11:02:37 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उपयुर्क्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत घोषणा, रिकार्ड दुंरूस्ती एंव स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 1792 रकबा 1.23 हैक्टर में से 0.0492 हैक्टर एंव खसरा नम्बर 1796 रकबा 0.91 हैक्टर में से 0.0348 हैक्टर एंव खसरा नम्बर 2318/3 रकबा 0.0850 हैक्टर में से 0.0768 हैक्टर भूमि को कम करके उक्त भूमि के कुल रकबे 0.0492 + 0.0348 + 0.0768 =0.1608 हैक्टर को वादीगण की भूमि खसरा नम्बर 2318/1 में बढ़ाया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर नक्शा ट्रेस में रास्ते की दुरूस्ती किये जाने एंव इसी अनुसार पटवारी हल्का दिवराला की रिपोर्ट दिनांक 13.09.2021 में वर्णित नजरी नक्शा में मौके अनुसार पैमुदगी अनुसार राजस्व रिकार्ड यथा जमाबन्दी एंव नक्शा दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जावे। पटवारी हल्का दिवराला की रिपोर्ट दिनांक 13.09.2021 को निर्णय का भाग बनाया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

08/02/22

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) ★ श्रीमाधोपुर (सीकर) ★

यह निर्णय आज दिनांक 08.02.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

08/02/22

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.02.23 11:02:37 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) ★ श्रीमाधोपुर (सीकर) ★